

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 4188 / 12-1

दिनांक , चम्पावत 18-3- 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
अल्मोड़ा ।

विषय - चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online Portal No -FP/UK/ROAD/31090/2017)

संदर्भ - क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून का पत्रांक RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/1302 Dated 13.02.2025 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट के पत्रांक 269/6सी०, दिनांक 22.02.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र०सं०	प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण
1.	The user agency shall submit status of recommendation of high powered committee.	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Over-sight Committee की बैठक दिनांक 03.06.2024 को आहूत की गयी, जिसमें निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ पूर्व में, मार्ग के संरेखण में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि, Right of Way (ROW) चौड़ाई 24 मीटर में, वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें 1975 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरण में प्रस्तावित किया गया था। Over-sight Committee की बैठक दिनांक 27.07.2022 में, प्रभावित वृक्षों की संख्या को कम करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में, मार्ग के संरेखण में, निर्माण कार्य से प्रभावित होने वाली, Formation width चौड़ाई 14 मीटर में, प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुनः गणना की गयी, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य से 1709 वृक्षों का प्रभावित होना पाया गया। उक्त हेतु Over-sight Committee द्वारा दिनांक 31.05.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया ।</li><li>➤ Over-sight Committee द्वारा दिनांक 27.10.2023 को हुयी REC की बैठक में 3 बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में उक्त सूचनाओं को, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक 42 / 12-1 दिनांक 04.07.2024 द्वारा उप वन महानिदेशक केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्रेषित की गयी (छायाप्रति संलग्न) ।</li><li>➤ उपरोक्तानुसार, Over-sight Committee द्वारा, विचार विमर्श कर सहमत होकर, चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । Over-sight Committee की बैठक दिनांक 03.06.2024 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न ।</li></ul>



2.	The DFO shall re-inspect the proposed diversion area and submit details of trees that fall under proposed road and actual number of trees to be felled.	वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के साथ दिनांक 28.02.2025 को वृक्षों की पुनः गणना की गई। 1709 प्रभावित वृक्षों में से 616 देवदार, 387 फल्याट, 246 बांज, 229 चीड़, 95 काफल तथा शेष अन्य प्रजाति के वृक्ष हैं। सूची संलग्न है।
3.	Since there are large number of Deodar trees of higher diameter classes, to be effected in the proposal, the DFO shall submit a Deodar specific plantation scheme (CA)/eco- restoration plans.	देवदार विशिष्ट वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है। वृक्षारोपण में न्यूनतम 50% देवदार पौध का रोपण प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पुस्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

क

पत्रांक 4-188 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त प्रस्ताव को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा पहुँचाने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

क



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट



Address: Vill- Raikot Mahar, PO- Lohaghat (Champawat) UK 262524

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

क्रा 269 / 6 सी०

दिनांक 22/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत।  
पत्रांक 84.76  
संख्या 125-1  
दिनांक 1-3-2025

विषय:-

चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/31090/2017).

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून का पत्रांक RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/1302 Dated 13.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध है कि चम्पावत बाईपास की REC बैठक दिनांक 28.01.2025 को हुयी। उक्त बैठक में तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी, जिसमे बिन्दु संख्या 1 खण्ड से सम्बन्धित है, जिसकी सूचना निम्नवत् है, बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें:-

Sr. No.	Query	Answer
1	The user agency shall submit status of recommendation of High Powered Committee.	<p>Over-sight Committee की बैठक दिनांक 03.06.2024 को आहूत की गयी, जिसमें निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पूर्व में, मार्ग के संरेखण में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि, Right of Way (ROW) चौड़ाई 24 मीटर में, वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें 1975 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरण में प्रस्तावित किया गया था। Over-sight Committee की बैठक दिनांक 27.07.2022 में, प्रभावित वृक्षों की संख्या को कम करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में, मार्ग के संरेखण में, निर्माण कार्य से प्रभावित होने वाली, Formation width चौड़ाई 14 मीटर में, प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुनः गणना की गयी, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य से 1709 वृक्षों का प्रभावित होना पाया गया। उक्त हेतु Over-sight Committee द्वारा दिनांक 31.05.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।</li> <li>➤ Over-sight Committee द्वारा, दिनांक 27.10.2023 को हुयी REC की बैठक में 3 बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में उक्त सूचनाओं को, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक 42/12-1 दिनांक 04.07.2024 द्वारा उप वन महानिदेशक केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्रेषित की गयी (छायाप्रति संलग्न)।</li> <li>➤ उपरोक्तानुसार, Over-sight Committee द्वारा, विचार विमर्श कर सहमत होकर, चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। Over-sight Committee की बैठक दिनांक 03.06.2024 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।</li> </ul>

*(Signature)*





	The DFO shall re-inspect the proposed diversion area and submit details of trees that fall under proposed road and actual number of trees to be felled.	
3	Since there are large number of Deodar trees of higher diameter classes, to be effected in the proposal, the DFO shall submit a Deodar specific plantation scheme (CA)/eco-restoration plan.s	

अतः अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(इं. आशुतोष कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता,

रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

दिनांक /02/2025

पत्रांक /

प्रतिलिपि- मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य अभियन्ता स्तर-1, रा0मा0 उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता द्वितीय, रा0मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,

रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट



**Minutes of the 17th meeting of the Oversight Committee held on Monday,  
03.06.2024, 11.30 a.m.at BRO, Project Shivalik, Lal Tappar.**

**Participants:**

1. Justice A.K. Sikri, Chairperson, Former Judge, Supreme Court of India
2. Dr. Sanjeev Kumar Goyal, Member- Scientist, NEERI-CSIR
3. Dr. N. Bala, Member-Scientist, Forest Research Institute, Dehradun
4. Mr. D.K. Sharma, CE, RO, MoRTH, Dehradun
5. Dr. Sidhanand Kukrety, Technical Advisor, Chardham Pariyojana
6. Mr. Dayanand, CE(NH), PWD

- 1) At the outset, the Chairperson welcomed all the participants to the meeting.
- 2) With regard to the Action on Minutes of Oversight Committee's 16<sup>th</sup> Meeting held on 05.01.2024, CE-RO, Dehradun informed that,
  - a) The comparative study of proposed Champawat Bypass and widening within the existing National Highway through Champawat town has already been presented before the OSC.
  - b) Dr. Goyal proposed for site visit to understand the ground situation at Champawat before taking a decision. Sites of proposed bypasses Lohaghat and Pithoragarh may also be visited simultaneously.
  - c) Chairperson agreed with the suggestion of site visit of Champawat by the Oversight Committee in the near future for a spot study and take a decision on proposed Champawat Bypass.
  - d) A Spot visit of Champawat Bypass was scheduled on 31.05.2024 by Oversight Committee.

**AGENDA 1 - CHAMPAWAT BYPASS**

- 3) CE-RO, MoRTH, Dehradun briefed about the previous meetings held on the Champawat Bypass matter as under:
  - a) In the Oversight Committee meeting held earlier on 21.05.2022 & 23.05.2022 Committee desired that MoRTH may have a re-look on proposed bypass project and have comparative study made and possibility of expansion and strengthening of present connectivity passing through Champawat town be explored.



- b) In the Oversight Committee Meeting held on 27.07.2022, CE-RO, Dehradun made a presentation on Champawat bypass including comparative study between options of proposed Champawat bypass and widening and Strengthening of the present connectivity passing through Champawat town.
- c) The Committee stated that clearance from Forest Department is essential in the first place for the proposed bypass & Committee in its meeting held on 15.08.2022 also directed MoRTH to approach the Forest Department with a request to grant permission. Thereafter, Forest Clearance proposal was submitted with State Forest Department. Ministry of Environment Forest and Climate Change vide their letter dated 16.11.2023 communicated their decision of in-principle approval for diversion of Forest land subject to submission of following documents/information/clarification.
- Location of muck dumping site is also required to be marked in the KML file of the proposal.
  - Submission of separate enumeration of trees for muck dumping sites to the Regional office and no tree felling should be carried out in the area proposed for muck dumping.
  - It shall be ensured that once the muck dumping is carried out, the area of muck dumping proposed in forest land should be stabilized and returned to the forest department for which detailed reclamation plan will be provided.
- d) The Bypass will reduce traffic congestion in Champawat city which is a District headquarter. It will reduce travel time, vehicle operation cost and further reduce road accidents, air and noise pollution.
- e) Traffic congestion occurs frequently on this existing 2 Lane/ less than 2 Lane road (about 6 Km 2 Lane and 1.75 KM less than 2 lane ) NH through city portion. Travel time is more through the city portion because of traffic congestion. Further vehicular operation cost is high and chances of road accidents are more in city road. Widening of



existing road will require acquisition of structure and land in the habitat area, having socio-economic impact besides financial implication for Government.

- f) Champawat Bypass falls on Tanakpur-Pithoragarh NH section and the entire length of 162 km of this section is upgraded to 2L with Paved Shoulder configuration except in 3 town portion Champawat, Lohaghat & Pithoragarh. The above said section falls in strategic corridor and this NH passes through Pithoragarh-Dharchula-Gunji and reaches upto Lipulekh (China Border) and is a connectivity for Kailash Mansarovar.
  - g) CE-RO MoRTH, Dehradun informed that the acquisition of land and / or property for widening the existing road through the Champawat town will be a difficult task as the local Administration anticipates lot of resentment from the property owners. Further, even after widening the existing road, the congestion might remain since the road passes through the busy market place. Therefore, the proposed Bypass is a better option.
- 4) Dr. Sidhanand Kukrety, Technical Advisor to the Chardham Project, made the following submission on biological measures and civil measures for mitigation of environmental impacts in proposed bypass:
- a) Tree cutting proposed: 1975 nos.
  - b) Compensatory Afforestation: 18.5 Ha
  - c) Muck disposal plan: Dumping site shall be protected with Retaining Wall 5.0m height in a minimum length 800 Rmt. including biological measures during the closing of the muck disposal sites.
  - d) Environmental management plan: EIA report prepared for project provides for ₹ 7.93 crore. In the estimate for avoidance, mitigation & management of probable negative impact of the project on environment.
  - e) He also emphasized the civil measures like provision of breast wall / retaining wall in the proposal



5) Dr. Sanjeev Kumar Goyal, Scientist Member, observed that the Champawat Bypass proposed to be developed with 24 m ROW (10 m carriage way) on virgin hill, will involve huge cutting of hill/mountain and felling of trees and these aspects need to be relooked with the following perspective:

- a. Possibility of widening of the existing route.
- b. Minimum hill cutting by optimizing the need for ROW of 24 m.
- c. Quantification of hill cutting and tree cutting/felling involved in both the above cases (a, b).

6) Dr. Goyal also proposed for site visit to understand the ground situation at Champawat before taking a decision. Sites of proposed bypasses Lohaghat and Pithoragarh may also be visited simultaneously.

7) In response to the comments of Dr. Goyal, it was clarified that acquisition of land/property for widening/ strengthening existing road passing through the Champawat Town will be a difficult proposition from the socio-economic point of view. It was informed that the local residents have been using these properties for businesses and for other livelihood for long, and therefore, would not yield to such a proposal.

7.1) The RoW required for this strategic corridor for 2L+PS is kept 24m as per IRC- 52:2019. Although carriageway width required is of 10m width but considering hill cutting involved additional width is required to keep hill at stable state therefore right of way proposed is 24m.

7.2) With regard to felling of trees although permission is taken for tree felling up to 1975 but for formation width of 14m no. of trees to be cut are 1709.

8) Dr. N. Bala, Scientist Member also made observation on the Forest Clearance obtained for diversion of land and condition subjected to that approval; like location of muck site to be marked in KML file, submission of separate enumeration of trees for muck dumping sites to the Regional office and no tree felling should be carried out at muck dumping site and forest land to be



stabilised after the muck dumping is carried out and returned to the Forest Department. Above points are noted for compliance.

- 9) Subsequent to the deliberations in the meeting of the Oversight Committee on 05.01.2024, the members of the Oversight Committee carried out spot visit of the proposed Champawat Bypass in Champawat town including aerial visit of Lohaghat & Pithoragarh bypass on 31.05.2024. The Committee also made field visit of Champawat Bypass at one of the accessible locations and took stock of the ground realities.
- 10) The Tanakpur - Pithoragarh section of NH-09 (162 km) under Chardham Project is completed and is part of strategic corridor leading to China Border (Lipulekh Pass). The bypasses in the said corridor for 3 towns namely Champawat, Lohaghat & Pithoragarh are required. The Detailed Project Report for Champawat Bypass is ready and those for Lohaghat & Pithoragarh Bypass are likely to be completed by April 2025.
- 11) CE-RO, MoRTH, Dehradun submitted before the Oversight Committee that Hon'ble Supreme Court in its order 14.12.2021 has allowed 2L+PS configuration for strategic corridor and accordingly configuration of 2L with Paved Shoulder is proposed for Champawat Bypass of length 9.847 Km.
- 12) M/s THDCIL (Tehri Hydro Development Corporation India Ltd.) has been involved in for provision of slope stabilization measures having hill cutting for more than 8 m or so. Geologist and Design Engineers of said firm has visited site and identified 14 vulnerable locations which require slope protection measures. The rock mass encountered in the area between Ch.0.00 Km and Ch.7.140 Km of Bypass Road consists of Granitic Gneiss. Whereas, between Ch.8.300 Km and Ch.9.847 Km, the Phyllites/Slate rock mass is exposed. The contact of Phyllites and Granitic Gneiss would be somewhere in the area between Ch.7.140 Km and Ch.8.30Km of bypass road. The provisions are High Tensile Rolled Cable Net with Secondary Mesh (G.I. Chain link Fabric) Fencing, Self-Driven Hollow Anchors, Cement Concrete Cladding Wall and Cement Concrete Gravity Wall.



- 13) In view of above, CE-RO, MoRTH, Dehradun submitted before Oversight Committee that proposal for construction of Champawat Bypass of 2L+PS on NH-09 may kindly be cleared by them.

## AGENDA 2: RISHIKESH BYPASS

- 1) Rishikesh bypass on NH-07 is proposed on the strategic corridor leading to Mana Pass (China Border) via Rudraprayag - Karnprayag & Badrinath.
- 2) Huge traffic congestion occurs on the existing NH section through Rishikesh city, especially near Tapovan and Shyampur Railways Level Crossing. During Chardham yatra period, traffic congestion of 1 to 2 hours is experienced in general. Existing lane width and traffic volume of Rishikesh Bypass is as per following:

S.No	Section	Existing Lane width	Traffic Vol. (PCU/day)
1	Nepali Farm to Chandrabagha Bridge	4 Lane	44900
2	Chandrabagha Bridge to Tapovan (End of Rishikesh Bypass)	2L+PS	16005

- 3) The members of the Oversight Committee carried out spot visit of Rishikesh Bypass on 31.05.2024 and took note of limited width of existing road to cater traffic volume of Chardham Yatra. Committee broadly agreed with proposal of realignment of Rishikesh Bypass.
- 4) CE-RO, MoRTH, Dehradun made presentation on "*Construction of Rishikesh Bypass (6L/4L/2L+PS) from design Chainage 217+920 (Nepali Farm) to 235+800 (Near Tapovan) and four lane Spur ROB (Shyampur LC) on NH-07 for connecting existing NH towards Rishikesh city with Rishikesh Bypass*" as per the following:
  - a) Existing National Highway through Rishikesh city has length of 18.7 km which is bypassed and the proposed bypass is 17.88 km length. Bypass comprises 2L with PS configuration of 7.5 km length, 4L configuration of 8.85 km length & 6 lane configuration of 1.53 km length. The bypass has



4L/6L elevated length of 7.48 km & Two-lane tunnel of 2 nos. (750 m & 320 m) and cut and cover tunnel 6 nos. of 1160m. The estimated total project cost is Rs. 2427 Cr. Administrative Approval & Financial Sanction of the work will be obtained after clearance from Oversight Committee.

- 5) Proposed Rishikesh bypass of total length 17.88 km comprises two sections as per the following:
- i. From km. 217.920 (Near Nepali Farm) to Km. 228.800 (Near Dhalwala) of 10.83 km length on plain terrain. 4L/6L lane configuration proposed in 10.38 Km length and 0.45 km of 2L+PS configuration. DPR for this stretch is ready. Land Acquisition of 3.22 Ha is completed & 3.90 Ha is to be completed. Transfer of forest land of 15.217 Ha is to be completed. Approximate total project cost is Rs. 1432 cr. comprising civil cost of Rs. 646 cr. and LA & FC cost of Rs. 594 crore.
  - ii. From km 228.800 (Near Dhalwala) to km. 235.800 (near Tapovan) section of 7.05 km length 2L+PS lane configuration (10 m) is proposed. It comprises Greenfield alignment of 4.82 km length & 2.23 km length on existing alignment on Hilly terrain. 2 nos. tunnel of 2L configuration of 750 m & 320 m & 6 nos. cut and cover tunnel (1160 m) are proposed. In January 2020, Forest Department informed about Bio Diversity Park being finalized in approved Alignment due to this observation alignment was modified between Dhalwala and Kharsot bridge with tunnel option. Total transfer of Forest land required is 12.87 Ha & transfer of 11.09 Ha has been obtained in Sept'2020. Land Acquisition of 1.61 Ha is also involved, 3A is in advance stage & FC proposal for balance 1.78 Ha in under preparation. Approximate total project cost of Rs. 994 Cr. comprising Civil Cost of Rs. 843 Cr. and LA and FC Rs. 28 Cr. Tender for appointment of consultant for preparation of Detail Project Report for km 228.800 (near Dhalwala) to km. 235.800 (near Tapovan) is under progress and consultant is likely to be appointed in 3 months times. Thereafter DPR is likely to be completed in ten months' time.



- 6) Comparative study between proposed Rishikesh Bypass (17.88 km) & existing NH through Rishikesh city (18.7 km) was presented by CE-RO, MoRTH, Dehradun.
- a) The Bypass will reduce traffic congestion in Rishikesh city which is a District headquarter. It will reduce travel time, vehicle operation cost and further reduce road accidents, air and noise pollution.
  - b) Traffic congestion occurs frequently especially near Shyampur Level Crossing as Chardham pilgrims & tourist take this NH through city portion. Except on city portion, the National Highway has been widened to 2 lane with paved shoulders (10m). Travel time is more through the city portion because of traffic congestion. Further vehicular operation cost is high and chances of road accidents are more in city road. Widening of existing road will require acquisition of structure/Ashrams and land in the habitat area having socio-economic impact besides financial implication for land acquisition.
  - c) Rishikesh Bypass falls in strategic corridor, this NH passes through Rudraprayag - Karnprayag & Badrinath and reaches upto Mana and Niti (China Border) and also give connectivity to Gangotri & Yamunotri Dham via Dhalwala- Muni Ki Reti -Dharasu through NH-34.
  - d) CE-RO MoRTH, Dehradun informed that the acquisition of land and / or property for widening the existing road through the Rishikesh town will be a difficult task as the local Administration anticipates lot of resentment from the property owners. Further, even after widening the existing road, the congestion might remain since the road passes though the busy market place. Therefore, the proposed Bypass is a better option.
- 7) Dr. Sidhanand Kukrety, Technical Advisor to the Chardham Project, made the following submission on biological measures and civil measures for mitigation of environmental impacts in segment 1 (From Nepali Farm to Dhalwala) of proposed Rishikesh bypass:
- a) Tree cutting proposed: 3000 nos.
  - b) Compensatory Afforestation: 30.44 Ha



- c) Environmental Management Plan: EIA report prepared for project provides for ₹ 0.52 Cr in the estimate for avoidance, mitigation & management of probable negative impact of the project on environment.
- 8) Since the DPR from Nepali Farm to Dhalwala is ready and keeping in view huge traffic congestion observed, the proposal for construction of Rishikesh Bypass may be accorded clearance by Oversight Committee. Clearance of second part of Rishikesh Bypass From km 228.800 (Near Dhalwala) to km. 235.800 (near Tapovan) will be obtained after DPR is ready.

**Ecological Restoration of disturbed areas:**

- 1) Dr. Sidhanand Kukrety, Technical Advisor to the Chardham Project, informed the Committee that MoRTH has initiated large scale slope protection measures all along the Project areas. Additionally, as mandated by the HPC, the Uttarakhand Forest Department is in the process of preparing a Ecological Restoration plan for the areas all along the Chardham Project that are disturbed by road formation. The proposed plan will have a mix and match of various eco-restoration strategies based on the geolocation; geo-morphology of the area, coupled with the extent of disturbance caused by the road construction / road widening works. Depending on the suitability, the following main strategies may be adopted for restoration of the damaged landscapes.

**i. Afforestation:**

It is proposed to carry out planting of the tree species native to the area. The identification of the species shall be carried out with the help of the different stakeholders and keeping in view the species existing in the reference ecosystem. Planting of Avenue trees all along the highway either in single or multiple rows shall be taken up depending on the space available.

**ii. Vegetative stabilization of the Muck Dumps and Slides:**



The muck generated during the formation of the road is stored at a designated sites close to the road proximity. Similarly, due to the geography of the area, there is higher probability of landslides and damage due to muck sliding down the hill. In all such areas, civil stabilization coupled with vegetative stabilization of the slides and muck dumps coupled with planting is proposed to be taken up. The top soil collected from the area cleared for road is proposed to be utilised for this purpose.

iii. **Soil and Moisture Conservation (SMC) works:**

In the areas disturbed by road widening, SMC works like gully and nala control, diversion channels, and contour trenching is proposed to be carried out. Wherever required, these structures will be strengthened by vegetative measures as well.

iv. **Seed dispersal (Native grass and tree species)**

It is proposed to improve the availability of seeds of native grass and tree species by seed dispersal. With the help of such Assisted Natural Regeneration (ANR), it is possible to hasten the process of recovery of the disturbed areas. Use of modern tool and technology has been proposed.

v. **Development of Landscaping, Arboretum and Bio-diversity parks:**

The proposal envisages development of a few areas for pilgrims/ passers-by and members of local community for spending some time, for resting or as viewpoint. Basic amenities like parking, temporary shelters, potable water, washroom, benches etc. are proposed to be provided at these sites. The muck disposal areas are the primary areas selected for this component.




- 2) It was informed that the proposed Ecological Restoration Measures will help mitigate the damage caused to ecology and environment by the road development works in due course.
- 14) Dr Bala, Scientist Member, while acknowledging the presentation made by Dr. Kukrety about the use of top soil from hill cutting in vegetating muck disposal sites, made the observation that use of topsoil is little tricky owing to limited space available in the hilly terrain for storage. He suggested use of freshly dug topsoil immediately by transporting it to a nearby matured muck disposal site instead of strong it for future use. Since very limited areas are available for afforestation along the roadside in the form of muck disposal sites, these may be planted with indigenous aesthetically attractive tree saplings and shrub species along with grass and herb to enhance the scenic beauty of the area. The afforestation activities along the road site/muck disposal site and on other degraded lands need to be expedited as early as possible.
- 15) Dr. Sanjeev K. Goyal, Scientist Member, desired a copy of EIA Report for the Rishikesh Bypass, and the CE, Regional Office, MoRTH, Dehradun replied that the same shall be shared.
- 16) The representatives of agencies connected with the construction of the aforesaid Projects acknowledged the valuable suggestions made by the members and assured every care shall be taken to implement the same.
- 17) After the detailed deliberations as recorded above, which include the observations made by the Scientist Members and the reply given by the CE-RO MORTH, Dehradun during today's meeting, and also keeping in view the order of the Hon'ble Supreme Court whereby permission for widening of the strategic roads has already been given, the Oversight Committee hereby accords its approval to the proposed Projects "Construction of 2L+PS Champawat Bypass on NH-09" and "Construction of Rishikesh Bypass km. 217.920 (Near Nepali Farm) to Km. 228.800 (Near Dhalwala) of 10.83km length on NH-07", subject to compliance of all the points/observations raised by the Members of the Committee by the Project Executing Agencies and



subject to observance of all Environmental safeguards/guidelines issued by various Agencies.

The meeting concluded with a vote of thanks to the chair.



Justice A.K. Sikri

Former Judge, Supreme Court of India  
Chairperson, Oversight Committee



परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर - पिथौरागढ़ एन0एच0 - 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी देवीधूरा धूनाघाट क0स0 - 22, 25 क्षेत्रफल 5.5 हे0 एवं पूर्वी देवीधूरा क0स0 22, 25 क्षे0 7.00 हे0 देवीधूरा रेंज, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत कुल क्षे0 12.5 हे0

**देवदार विशिष्ट वृक्षारोपण योजना (Deodar specific plantation scheme)**

(वर्ष 2024 - 25)

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- (1100 पौधे प्रति हे0)(न्यूनतम 50% देवदार पौध) (कुल पौधे 13750)					
प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य					
क्र.सं.	कार्य विवरण	ईकाई	क्षेत्रफल	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के0एम0एल0 फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	प्रति हे0	12.5	1453.00	18162.50
2	क्षेत्र की सफाई	प्रति हे0	12.5	1259.00	15737.50
3	घेरबाड़ कार्य				
4	कुली वाल (100 घ0मी0 प्रति हे0 193 र0मी0 प्रति हे0) नोट - यह 67900 प्रति हे0 घेरबाड़ व्यय तारबाड़ करने पर भी लागू होगा। :1x0.45x1.15) दर औसत (628+730)/2	प्रति घ0मी0	1250	679.00	848750.00
5	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	प्रति पौध	16500	15.90	262350.00
6	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्रति गडडा	16500	15.80	260700.00
7	भूमि संरक्षण कार्य 1-कन्दूर फर्रे 450 र0मी0 (450x235=15750) (औसत साईज-1x0.30x0.30) 2- चाल-खाल 2 सं0 (2x6500=13000) (औसत साईज-4x2.5x1.00) कुल योग-28750	प्रति हे0	12.5	28750.00	359375.00
8	निरीक्षण बटिया	प्रति हे0	12.5	1046.00	13075.00
	उप-योग				1778150.00
9	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक मू0 एवं जल संरक्षण विकास एवं अनुसंरक्षण कार्य -2 प्रतिशत	प्रति हे0	-	-	35563
10	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत	प्रति हे0	-	-	8891
11	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य - 0.50 प्रतिशत	प्रति हे0	-	-	8891
12	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति हे0	-	-	35563
	प्रथम वर्ष का योग				1867058



द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य					
1	गडडा भरान	प्रति गडडा	16500	2.48	40920
2	कन्दूर फरों में बीज बुआई	प्रति २०मी०	16500	1.50	24750
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	प्रति पौध	16500	2.70	44550
4	पौध ढुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध				
5	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	प्रति पौध	16500	12.17	200805
6	सिरबोझ ढुलान 3 कि०मी०	प्रति पौध	16500	8.16	134640
7	पौध रोपण	प्रति पौध	16500	4.44	73260
8	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	प्रति पौध	16500	1.64	27060
9	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	प्रति पौध	16500	1.64	27060
10	खाद/रसायन	प्रति पौध	16500	0.05	742.5
11	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है० = 20568				
12	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	12.5	20568.00	257100
13	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -				
14	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -				
15	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	12.5	318.00	3975
16	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग-प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)	प्रति है०	12.5	26.67	333.375
17	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत नालों में सैलैक्स आदि प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	प्रति है०	12.5	1.50	18.75
	उप-योग				835214.625
18	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	670.00	321.97
19	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	335.00	160.99
20	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	1340.00	321.97
21	साईन बोर्ड लगाना (3X4फीट) कम्प्लीट कार्य	प्रति है०	12.5	L.S.	1000
	द्वितीय वर्ष का योग				837019.555

वन क्षेत्राधिकारी  
देवीघूरा वन क्षेत्र  
जम्मावत वन प्रभाग



तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है० = 30852				
2	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	12.5	30852.00	385650
3	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -				
5	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का व्यय विभागीय तथा रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा)	प्रति पौध	16500	38.93	642345
6	निराई-गुड़ाई मल्विंग थावलाबन्दी प्रथम बार	प्रति पौध	16500	1.64	27060
7	निराई-गुड़ाई मल्विंग थावलाबन्दी द्वितीय बार	प्रति पौध	16500	1.64	27060
8	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	12.5	318.00	3975
	उप-योग				1086090
9	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	433.40	5417.5
10	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	216.70	2708.75
11	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	866.80	10835
	तृतीय वर्ष का योग				1105051.25
	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है०	प्रति है०	12.5	30852.00	385650
2	5 है० तक वृक्षारोपण -				
3	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	12.5	318.00	3975
	उप-योग				389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	1.56	19.5
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	0.78	9.75
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	12.5	3.12	39
	चतुर्थ वर्ष का योग				389693.25

वन विभागाधिकारी  
देवीधरा वन  
कल्याण वन प्रभाग



पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	12.5	30852.00	385650
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	12.5	318.00	3975
	उप-योग				389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	1.56	19.5
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	0.78	9.75
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	3.12	39
	पंचम वर्ष का योग				389693.25
षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	12.5	30852.00	385650
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	12.5	318.00	3975
	उप-योग				389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	1.56	19.5
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	0.78	9.75
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	3.12	39
	षष्ठम वर्ष का योग				389693.25
सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	12.5	30852.00	385650
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	12.5	318.00	3975
	उप-योग				389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	1.56	19.5
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	0.78	9.75
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	3.12	39
	सप्तम वर्ष का योग				389693.25

वन सहायिका  
देवीधूरा वन क्षेत्र  
अनुरक्षण वन प्रभाग



अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	12.5	30852.00	385650
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	12.5	318.00	3975
	उप-योग				389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	1.56	19.5
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	0.78	9.75
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	3.12	39
	अष्टम वर्ष का योग				389693.25
नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	12.5	30852.00	385650
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	12.5	318.00	3975
	उप-योग				389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	1.56	19.5
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	0.78	9.75
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	3.12	39
	नवम वर्ष का योग				389693.25
दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	12.5	30852.00	385650
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	12.5	318.00	3975
	उप-योग				389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	1.56	19.5
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	0.78	9.75
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	3.12	39
	दशम वर्ष का योग				389693.25

वन विभागिकारी  
वेदीश्वर वन क्षेत्र  
सुरक्षा एवं प्रयाग



एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	12.5	30852.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	12.5	318.00
	उप-योग			389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	3.12
	एकादश वर्ष का योग			389693.25
द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	12.5	30852.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	12.5	318.00
	उप-योग			389625
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	12.5	3.12
	द्वादश वर्ष का योग			389693.25
व्यय सार:-				
1	प्रथम वर्ष-अग्रिम मृदा कार्य	प्रति है0		1867058
2	द्वितीय वर्ष-वृक्षारोपण कार्य	प्रति है0		837019.555
3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)	प्रति है0		1105051.25
4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)	प्रति है0		389693.25
5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)	प्रति है0		389693.25
6	षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	प्रति है0		389693.25
7	सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)	प्रति है0		389693.25
8	अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)	प्रति है0		389693.25
9	नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)	प्रति है0		389693.25
10	दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)	प्रति है0		389693.25
11	एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)	प्रति है0		389693.25
12	द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)	प्रति है0		389693.25
	सम्पूर्ण योग			7316368.055

सहायक अभियन्ता (तृतीय)  
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोहाघाट  
लोहाघाट

अधिशारी अभियन्ता  
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोहाघाट  
लोहाघाट

प्रभागीय वन अधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

वन अधीक्षिका  
देवीधूरा वन क्षेत्र  
चम्पावत वन प्रभाग

वन अधीक्षिका  
चम्पावत



परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर – पिथौरागढ़ एन0एच0 – 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी कांतेश्वर क0स0 – 11 अ, क्षेत्रफल 6.00 हे0 चम्पावत रेंज, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

### देवदार विशिष्ट वृक्षारोपण योजना (Deodar specific plantation scheme)

(वर्ष 2024 – 25)

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- (1100 पौधे प्रति हे०) (कुल पौधे 6600)					
1100 पौध का रोपण(न्यूनतम 50% देवदार पौध)		अध्याय -2 वृक्षारोपण कार्य			
प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य					
क्र.सं.	कार्य विवरण	ईकाई	क्षेत्रफल	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	प्रति है०	6	1453.00	8718.00
2	क्षेत्र की सफाई	प्रति है०	6	1259.00	7554.00
3	घेरबाड़ कार्य				
4	कुली वाल (100 घ०मी० प्रति है० 193 र०मी० प्रति है०) नोट - यह 67900 प्रति है० घेरबाड़ व्यय तारबाड़ करने पर भी लागू होगा। :1x0.45x1.15) दर औसत (628+730)/2	प्रति घ०मी०	600	679.00	407400.00
5	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	प्रति पौध	7920	15.90	125928.00
6	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्रति गडडा	7920	15.80	125136.00
7	भूमि संरक्षण कार्य 1-कन्टूर फर्रे 450 र०मी० (450x235=15750) (औसत साईज-1x0.30x0.30) 2- चाल-खाल 2 सं० (2x6500=13000) (औसत साईज-4x2.5x1.00) कुल योग-28750	प्रति है०	6	28750.00	172500.00
8	निरीक्षण बटिया	प्रति है०	6	1046.00	6276.00
	उप-योग				853512.00
9	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक मू० एवं जल संरक्षण विकास एवं अनुसंरक्षण कार्य -2 प्रतिशत	प्रति है०	-	-	17070.00
10	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत	प्रति है०	-	-	4268.00
11	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य - 0.50 प्रतिशत	प्रति है०	-	-	4268.00
12	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	-	-	17070.00
	प्रथम वर्ष का योग				896188.00



	द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य				
1	गडडा भरान	प्रति गडडा	7920	2.48	19641.60
2	कन्टूर फरों में बीज बुआई	प्रति २०मी०	2700	1.50	4050.00
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	प्रति पौध	7920	2.70	21384.00
4	पौध दुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध				
5	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	प्रति पौध	7920	12.17	96386.40
6	सिरबोज दुलान 3 कि०मी०	प्रति पौध	7920	8.16	64627.20
7	पौध रोपण	प्रति पौध	7920	4.44	35164.80
8	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	प्रति पौध	7920	1.64	12988.80
9	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	प्रति पौध	7920	1.64	12988.80
10	खाद/रसायन	प्रति पौध	7920	0.05	356.40
11	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है० = 20568				
12	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	6	20568.00	123408.00
13	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -				
14	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -				
15	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	6	318.00	1908.00
16	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग-प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)	प्रति है०	6	26.67	160.02
17	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत नालों में सैलैक्स आदि प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	प्रति है०	6	1.50	9.00
	उप-योग				393073.02
18	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	प्रति है०	6	670.00	321.97
19	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है०	6	335.00	160.99
20	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	6	1340.00	321.97
21	साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट) कम्प्लीट कार्य	प्रति है०	6	L.S.	1000.00
	द्वितीय वर्ष का योग				394877.95



तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 8 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण --	प्रति है0	6	30852.00	185112.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण --				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण --				
5	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व बुलान का व्यय विभागीय तथा रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा)	प्रति पौध	7920	38.93	308325.60
6	निराई-गुड़ाई मल्विंग थावलाबन्दी प्रथम बार	प्रति पौध	7920	1.64	12988.80
7	निराई-गुड़ाई मल्विंग थावलाबन्दी द्वितीय बार	प्रति पौध	7920	1.64	12988.80
8	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	6	318.00	1908.00
	उप-योग				521323.20
9	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	6	433.40	2600.40
10	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	6	216.70	1300.20
11	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	6	866.80	5200.80
	तृतीय वर्ष का योग				530424.60
चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण --	प्रति है0	6	30852.00	185112.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण --				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण --				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	6	318.00	1908.00
	उप-योग				187020.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	6	1.56	9.36
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	6	0.78	4.68
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	6	3.12	18.72
	चतुर्थ वर्ष का योग				187052.76



पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है०)			
2	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	6	30852.00
3	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -			
4	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	6	318.00
	उप-योग			187020.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है०	6	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है०	6	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	6	3.12
	पंचम वर्ष का योग			187052.76
षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है०)			
2	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	6	30852.00
3	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -			
4	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	6	318.00
	उप-योग			187020.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है०	6	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है०	6	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	6	3.12
	षष्ठम वर्ष का योग			187052.76
सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है०)			
2	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	6	30852.00
3	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -			
4	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	6	318.00
	उप-योग			187020.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है०	6	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है०	6	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	6	3.12
	सप्तम वर्ष का योग			187052.76



अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	6	30852.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	6	318.00
	उप-योग			1908.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	6	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	6	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	6	3.12
	अष्टम वर्ष का योग			18.72
				187052.76
नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	6	30852.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	6	318.00
	उप-योग			1908.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	6	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	6	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	6	3.12
	नवम वर्ष का योग			18.72
				187052.76
दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	6	30852.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	6	318.00
	उप-योग			1908.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	6	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	6	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	6	3.12
	दशम वर्ष का योग			18.72
				187052.76



एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	6	30852.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			185112.00
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	6	318.00
	उप-योग			1908.00
				187020.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	6	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	6	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	6	3.12
	एकादश वर्ष का योग			18.72
				187052.76
द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	6	30852.00
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			185112.00
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	6	318.00
	उप-योग			1908.00
				187020.00
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है0	6	1.56
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है0	6	0.78
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है0	6	3.12
	द्वादश वर्ष का योग			18.72
				187052.76
व्यय सार:-				
1	प्रथम वर्ष-अग्रिम मृदा कार्य	प्रति है0		896188.00
2	द्वितीय वर्ष-वृक्षारोपण कार्य	प्रति है0		394877.95
3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)	प्रति है0		530424.60
4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)	प्रति है0		187052.76
5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)	प्रति है0		187052.76
6	षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	प्रति है0		187052.76
7	सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)	प्रति है0		187052.76
8	अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)	प्रति है0		187052.76
9	नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)	प्रति है0		187052.76
10	दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)	प्रति है0		187052.76
11	एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)	प्रति है0		187052.76
12	द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)	प्रति है0		187052.76
	सम्पूर्ण योग			3504965.39

सहायक आयुक्त (स्थानीय)  
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोहाघाट  
लोहाघाट

अधिक्षेत्र आयुक्त  
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोहाघाट  
लोहाघाट

वन विभाग  
चम्पावत वन क्षेत्र

वन विभाग  
चम्पावत वन क्षेत्र

प्रभागीय वन अधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत



## संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत के पत्रांक 3886/12-1 चम्पा दिनांक 24.02.2025 के अनुपालन में चारधाम परियोजना अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास के निर्माण में प्रभावित हो रहे वृक्षों की पुनः गणना हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्तावित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण पूर्व में दिनांक 29.12.2017 को वन विभाग, राजस्व विभाग, प्रस्तावक विभाग द्वारा किया गया, जिसमें वृक्षों की गणना 24 मी० में की गयी, 24 मी० चौड़ाई में वृक्षों की कुल सं० 1975 थी, जिसका विवरण निम्नवत है।

**29.12.2017 को प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण में 24 मी० चौड़ाई में गणना किये गये वृक्षों की सूची**

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वार									योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1	देवदार	15	22	201	189	158	143	139	101	84	1052
2	चीड़	88	120	197	202	91	53	31	10	7	799
3	काफल	—	10	29	9	1	—	—	—	—	49
4	उत्तीस	—	—	5	2	2	1	—	—	—	10
5	सुरई	6	20	27	7	1	—	—	—	—	61
6	पापलर	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
7	मेहल	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
कुल योग		109	172	463	409	253	196	171	111	91	1975

उक्तानुसार मार्ग में कुल 1975 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। अधिशासी अभियन्ता रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट ने अपने पत्रांक 348/6सी दिनांक 05.04.2023 के द्वारा अनुरोध किया गया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों की गणना 14 मी० चौड़ाई में की जाये, जिस क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत द्वारा अपने पत्रांक 3535/12-1 दिनांक 06.04.2023 को 14 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना करने हेतु दिनांक 16.04.2023 को तिथि निश्चित की गयी। निर्धारित तिथि को वन विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रतिनिधियों द्वारा 14 मी० चौड़ाई में मार्ग निर्माण में प्रभावित वृक्षों की गणना की गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

**दिनांक 16.04.2023 के संयुक्त निरीक्षण में 14 मी० चौड़ाई में गणना किये गये वृक्षों की सूची**

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वार									योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1	देवदार	—	247	20	137	53	68	27	40	24	616
2	चीड़	—	15	45	77	53	27	9	3	—	229
3	काफल	—	70	25	—	—	—	—	—	—	95
4	उत्तीस	—	27	7	—	1	—	—	—	—	35
5	सुरई	—	1	6	5	2	—	—	—	—	14
6	मेहल	—	43	8	—	—	—	—	—	—	51
7	बुरांश	—	11	—	—	—	—	—	—	—	11
8	शहतूत	—	6	5	—	—	—	—	—	—	11
9	बांज	—	182	64	—	—	—	—	—	—	246
10	फल्याट	—	341	46	—	—	—	—	—	—	387
11	पदम	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
12	दुधला	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6
13	भीमल	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6
कुल योग			957	226	219	109	95	36	43	24	1709

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा दिनांक 28.01.2025 को आर०ई०सी० की बैठक में निर्देश दिये गये कि वृक्षों की गणना पुनः की जाये, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा दिनांक 28.02.2025 को वृक्षों की गणना हेतु



संयुक्त निरीक्षण की तिथि निश्चित की गयी। संयुक्त निरीक्षण में वनविभाग की ओर से श्री करम सिंह, वन दरोगा, श्री चतुर सिंह, उप वनक्षेत्राधिकारी, एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री रामी राम सहायक कार्यकारी अधिकारी, श्री अभिषेक अमीन, श्री धीरज हरबोला, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री हरीश कुंवर, अपर सहायक अभियन्ता रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर पूर्व में दिनांक 16.04.2023 को गणना किये गये वृक्षों का मिलान प्रस्तावित मार्ग में प्रभावित वृक्षों के साथ किया गया, जिसमें कोई अन्तर नहीं पाया गया तथा न ही प्रभावित वृक्षों की संख्या कम की जा सकती है। इससे कम चौड़ाई में वृक्षों की गणना किये जाने पर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है।

पूर्व में दिनांक 29.12.2017 को मार्ग के संयुक्त निरीक्षण में देवदार के वृक्षों की संख्या एवं दिनांक 23.04.2023 को प्रभावित वृक्षों की संख्या का तुलनात्मक विवरण निम्न है।

#### तुलनात्मक विवरण

क्र० सं०	दिनांक	प्रजाति	व्यास वार									
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	योग
1	29.12.2017	देवदार	15	22	201	189	158	143	139	101	84	1052
2	16.04.2023	देवदार	—	247	20	137	53	68	27	40	24	616

उक्तानुसार दोनों सूचियों का मिलान करने पर 436 वृक्षों का अन्तर पाया गया तथा यह भी अवगत कराना है कि देवदार के 616 प्रभावित वृक्षों में से 35 वृक्ष नाप भूमि में एवं 581 वृक्ष सिविल, वन पंचायत व आरक्षित वनभूमि में प्रभावित हो रहे हैं। आर0ई0सी0 की बैठक में पूर्व सूची के अनुसार में 150 मी0 व्यास के 467 देवदार के वृक्षों का उल्लेख किया गया है, परन्तु दिनांक 16.04.2023 की सूची के अनुसार 467 वृक्ष न होकर मात्र 159 देवदार के वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।

अतः उक्त मार्ग में प्रभावित वृक्षों की सूची पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में मात्र 616 देवदार के वृक्ष एवं अन्य प्रजाति के वृक्ष 1093 कुल 1709 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0  
लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी  
वन विभाग  
चम्पावत वन क्षेत्र

अभिषेक अमीन

अभिषेक अमीन

अभिषेक अमीन

अभिषेक अमीन  
कोषाधिकारी  
चम्पावत वन क्षेत्र

अभिषेक अमीन

अभिषेक अमीन

अभिषेक अमीन  
प्रभागीय वन अधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत